रजिस्ट्री सं. डी० एल०(एन)04/0007/2003-05 REGD. NO. D. L.(N)-04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 48] नई दिल्ली, नवम्बर 23—नवम्बर 29, 2003, शनिवार/अग्रहायण 2—अग्रहायण 8, 1925
No. 48] NEW DELHI, NOVEMBER 23—NOVEMBER, 29, 2003, SATURDAY/AGRAHAYANA 2—AGRAHAYANA 8, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Minisry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 412.—भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 29 जनवरी, 2003 में 163 पृष्ठ पर प्रकाशित भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना सा. का. नि. 34 तारीख 9 जनवरी, 2003 के अंत में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए :—

''**पाद टिप्पण** :—मूल अधिसूचना सा. का. नि. 447, तारीख 27 फरवरी, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा. का. नि. 44 तारीख 29 जनवरी, 1999 द्वारा संशोधित की गई।''

[फा. सं. ए-32016/1/83-प्रशा.-I]

सुनील मिश्र, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st November, 2003

G.S.R. 412.—In the notification of the Government of India in the Cabinet Secretariat under G.S.R. 34 dated the 9th January 2003 published at page 163 in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India dated the 29th January 2003.

"**Footnote.**—The principal notification was published vide G.S.R. 447, dated the 27th February, 1998 and subsequently amended vide G.S.R. 44 dated 29th January 1999".

[File No. A-32016/1/83-Ad. I]

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 413.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 के नियम 3, 4, 19 और 20 के साथ पठित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेट (कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सहायक कमांडेट (कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **आरंभिक गठन :**— इन नियमों के आरंभ की तारीख पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियमित या दीर्घ निबंधन के आधार पर सहायक कमांडेट (कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) का पद धारण करने वाले व्यक्ति इन नियमों में उपबंधों के अनुसरण में नियुक्त हुए समझे जाएंगे।

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	सहायक कमांडेट (कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)
2. पदों की संख्या	:	45* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	रु. 8000-275-13,500
5. चयन अथवा अचयन पद	:	चयन

6.	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: लागू नहीं होता
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: लागू नहीं होता
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	: लागू नहीं होता
9.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	: लागू नहीं होता
10.	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
11.	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	: सौ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
12.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	: प्रोन्नति : (1) अस्सी प्रतिशत ऐसे निरीक्षक (अनुसचिवीय/लेखा) से जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जो किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण हो और चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में हैं।) (2) बीस प्रतिशत ऐसे निरीक्षक (आशुलिपिक) से जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जो किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण हो और चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में हैं। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षिक अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति की पात्रता सूची अपनी श्रेणी या पद पर विहित पात्रता सेवा को अधिकारियों द्वारा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी।
13.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	: प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल—सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय—सदस्य 4. कमांडेंट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल—सदस्य
14.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फाइल सं. ई-32012/1/98/एल एण्ड आर/कार्मिक- II]

श्याम जिंदल, उप सचिव (कार्मिक- I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 10th November, 2003

G.S.R. 413.—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968) read with rules 3, 4, 19 and 20 of the Central Industrial Security Force Rules, 2001, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Commandant (Junior Administrative Officer) in the Central Industrial Security Force, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Industrial Security Force, Assistant Commandant (Junior Administrative Officer), Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Initial constitution.**—Persons holding the post of Assistant Commandant (Junior Administrative Officer) on a regular or long term basis in the Central Industrial Security Force on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

5. **Disqualification—No person.**—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any of the class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and othe special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of Post	:	**Assistant Commandant (Junior Administrative Officer)**
2. Number of posts	:	45* (2003) *Subject to variation dependent on work load.
3. Classification	:	General Central Services Group 'A' Gazetted Ministerial
4. Scale of pay	:	Rs. 8000-275-13500
5. Whether selection or non-selection post	:	Selection
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	Not applicable
7. Age limit for direct recruits	:	Not applicable

8. Educational and other qualification required for direct recruits	:	Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	Not applicable
10. Period of probation, if any	:	2 years for promotees
11. Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods	:	Hundered per cent by promotion
12. In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	:	**Promotion :** (i) Eighty per cent from Inspector (Ministerial/Accounts) with three years' regular service in the grade and having passed matriculation examination from a recognised board or equivalent and being in medical category SHAPE-I. (ii) Twenty per cent from Inspector (Stenographer) with three years' regular service in the grade and having passed matriculation examination from a recognised board or equivalent and being in Medical Category SHAPE-I. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.
13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	:	**Group 'A' Departmental Promotion Committee for Considering promotion :** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Deputy Inspector General, Central Industrial Security Force—Member 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs—Member 4. Commandant, Central Industrial Security Force—Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	:	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[File No. E-32012/1/1998/L & R/Pers. II]

SHYAM JINDAL, Dy. Secy. (Pers. I)

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 414.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और असम राइफल्स आशुलिपिक (श्रेणी-1) भर्ती नियम, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, असम राइफल्स, गृह मंत्रालय में ज्येष्ठ निजी सचिव और आशुलिपिक श्रेणी-1 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स आशुलिपि (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1.	1	:	ज्येष्ठ निजी सचिव
	2	:	1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
	3	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित, अनुसचिवीय
	4	:	7500-250-12000 रु.
	5	:	चयन
	6	:	लागू नहीं होता
	7	:	लागू नहीं होता
	8	:	लागू नहीं होता
	9	:	लागू नहीं होता
	10	:	लागू नहीं होता
	11	:	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। आशुलिपिक श्रेणी-I (जिसे अब ज्येष्ठ निजी सचिव के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है) के पद के नियमित धारक को 650-1040 रु. के (पूर्व पुनरीक्षित) वेतनमान में इस पद के 7500—12000 रु. के (पुनरीक्षित) वेतनमान में उन्नयन से पूर्व उपयुक्तता, उन्नयित पद पर नियुक्ति के लिए स्तम्भ 13 में उल्लिखित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रारंभिक रूप से निर्धारित की जाएगी और यदि उसे उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो वह उक्त पद के प्रारंभिक गठन के समय नियुक्त किया गया समझा जाएगा। यदि उसे उन्नयित वेतनमान में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो वह 6500—10500 रु. के पुनरीक्षित वेतनमान में बना रहेगा और उसके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा।
	12	:	**प्रोन्नति :** ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-I जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-I जिसने आशुलिपिक श्रेणी-I (5500—9000) और 1400—2600 (पूर्व पुनरीक्षित) के पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान में आशुलिपिक श्रेणी-II में नौ वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो जिसमें आशुलिपिक श्रेणी-I की श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा भी है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी—

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-10500 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास आशुलिपि (हिन्दी/अंग्रेजी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति है।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13 : प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और उन्नयित वेतनमान में नियोजन के लिए उपयुक्तता निर्धारण के लिए समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति।

1. उप महानिदेशक, असम राइफल्स—अध्यक्ष
2. निदेशक (प्रशासन), महानिदेशालय असम राइफल्स—सदस्य
3. सहायक निदेशक (प्रशासन), महानिदेशालय असम राइफल्स—सदस्य

14 : जब किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करनी हो तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1 : आशुलिपिक श्रेणी-I

2 : 13* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ख'', अराजपत्रित, अनुसचिवीय

4 : 5500-175-9000 रु.

5 : अचयन

6 : लागू नहीं होता

7 : लागू नहीं होता

8 : लागू नहीं होता

9 : लागू नहीं होता

10 : लागू नहीं होता

11 : 60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा

5500-9000 रु. (पुनरीक्षित) के वेतनमान में इस पद के उन्नयन से पूर्व 1400-2600 रु. (पूर्व पुनरीक्षित) के वेतनमान में आशुलिपिक श्रेणी-II के पद के नियमित धारक की उपयुक्तता, उन्नयित पद पर नियुक्ति के लिए स्तंभ 13 में निर्दिष्ट ''ख''

विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा आरंभिक रूप से निर्धारित की जाएगी। यदि उपयुक्त निर्धारित किया जाता है, तो उक्त पद के आरंभिक गठन के समय नियुक्त किया गया समझा जाएगा। यदि उसे उन्नयित वेतनमान में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो वह 5000-8000 रु. के पुनरीक्षित वेतनमान में बना रहेगा और प्रत्येक वर्ष उस मामले का पुनर्विलोकन किया जाएगा।

12 : **प्रोन्नति :** ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-III जिसने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500-7000 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है, और

(ख) जिनके पास आशुलिपि (हिन्दी/अंग्रेजी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति है।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13 : समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में :

1. उप महानिदेशक, असम राइफल्स—अध्यक्ष
2. निदेशक (प्रशासन), महानिदेशालय असम राइफल्स—सदस्य
3. उप निदेशक (प्रशासन) महानिदेशालय असम राइफल्स—सदस्य
4. सहायक निदेशक (प्रशासन), महानिदेशालय असम राइफल्स—सदस्य

14 : किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. I-45028/62/94-पा. II/कार्मिक- III (i)]

डी. एस. मिश्रा, निदेशक (का.)

New Delhi, the 21st November, 2003

G.S.R. 414.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supercession of the Assam Rifles Stenographer (Grade I) Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Private Secretary and Stenographer Grade I in the Ministry of Home Affairs, Assam Rifles, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Assam Rifles Stenographer (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. 1 : Senior Private Secretary

2 : 1* (2003) *subject to variation dependent on workload.

3 : General Central Service Group 'B' (Gazetted, Ministerial)

4 : Rs. 7500-250-12000

5 : Selection

6 : Not applicable

7 : Not applicable

8 : Not applicable

9 : Not applicable

10 : Not applicable

11 : By promotion failing which by deputation.

The suitability of the regular holder of the post of Stenographer Grade I (since redesignated as Senior Private Secretary) in the pay scale of Rs. 650-1040 (Pre-revised) prior to upgradation of this post in the scale of Rs. 7500-12000 (revised) shall be initially assessed by the Departmental Promotion Committee mentioned in column 13 for appointment to the upgraded post, and if assesed suitable, he shall be deemed to have been appointed at the initial constitution of the post. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay he shall continue to be in the revised scale of Rs. 6500-10500 and his case would be reviewed every year.

12 : **Promotion :** Stenographer Grade I with seven years regular service in the grade failing which combined regular service of nine years as Stenographer Grade-I (Rs. 5500-9000) and Stenographer Grade-II in the pre-revised pay scale of Rs. 1400-2600 (pre-revised) including two years regular service in the Grade of Stenographer Grade-I.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation : Officers under the Central Government and State Government/Union Territories :

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department ; or

(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/department; or

(iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) Possessing a speed of 100 words per minutes in stenography (Hindi/English). (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

13 : Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion and assesssing suitability for placement in upgraded scale of pay, consisting of :—

1. Deputy Director General Assam Rifles—Chairman
2. Director (Administration)
Directorate General Assam Refiles—Member
3. Assistant Director (Administration) Directorate General Assam Rifles—Member

14 : Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

2. 1 : Stenographer Grade-I

2 : 13* (2003) *subject to variation dependent on workload.

3 : General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted, Ministerial)

4 : Rs. 5500-175-9000

5 : Non-Selection

6 : Not applicable

7 : Not applicable

8 : Not applicable

9 : Not applicable

10 : Two years for promotees

11 : 60.00% by promotion

40.00% by deputation

The suitability of the regular holder of the post of Stenographer Grade-II in the pay scale of Rs. 1400-2600 (pre-revised) prior to upgradation of this post in the scale of Rs. 5500-9000 (revised) shall be initially assessed by the Group 'B' Departmental Promotion Committee mentioned in column 13 for appointment to the upgraded post. If assesed suitable, he shall be deemed to have been appointed at the initial constitution of the post. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay he shall continue to be in the revised scale of Rs. 5000-8000 and his case would be reviewed every year.

12 : **Promotion :** Stenographer Grade-III with 10 years' regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation :

Officers under the Central Government and State Government/Union Territories :

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department ; or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; OR

(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadre/department; OR

(iv) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4000-6000 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) Possessing a speed of 100 words per minute in stenography (Hindi/English). (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

13 : Group 'B' Departmental Promotion Committee considering promotion consisting of :—

1. Deputy Director General Assam Rifles—Chairman
2. Director (Administration), Directorate General Assam Rifles—Member
3. Deputy Director (Administration) Directorate General Assam Rifles—Member
4. Assistant Director (Administration) Directorate General Assam Rifles—Member

14 : Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

[File No. I. 45028/62/94-Pers. II/Pers. III(i)]

D.S. MISHRA, Director (Pers.)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 415.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पद) नियमावली, 1975 को, जहां तक उनका संबंध सहायक अनुसंधान अधिकारी (बायोलाजिस्ट) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में सहायक अनुसंधान अधिकारी (जीव विज्ञानी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता, सहायक अनुसंधान अधिकारी (जीव विज्ञानी) (समूह "ख" राजपत्रित) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1.	पद का नाम	: सहायक अनुसंधान अधिकारी (जीवविज्ञानी)
2.	पदों की संख्या	: 01* (2003) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)
3.	वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय
4.	वेतनमान	: रु. 6500-200-10500
5.	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन	: लागू नहीं होता
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: 30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
7.	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: लागू नहीं होता
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	: **आवश्यक :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से जीव विज्ञान अथवा प्राणि विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य; (ii) अध्यापन/अनुसंधान में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
9.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	: लागू नहीं होता

10. परिवीक्षा की अवधि : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा : **प्रतिनियुक्ति : (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है)**
केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यता प्राप्त संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध सरकारी स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी —

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान में उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है, और

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है।

(प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना : **समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)**

1. निदेशक, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता—अध्यक्ष
2. अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता—सदस्य
3. संबंधित विषय का विभागाध्यक्ष—सदस्य
4. इस समय जन स्वास्थ्य (संचारी रोग) अनुभाग, स्वा. से. महानिदेशालय (मुख्यालय) के अधीन अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता के प्रशासनिक कार्य को देखने वाला निदेशक प्रशासन/उप निदेशक प्रशासन—सदस्य

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया। : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. ए. 12025/5/96-पी एच (सी डी एल)/पी एच]

के. वी. एस. राव, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (श्रेणी 1 व श्रेणी 2) नियमावली, 1975 को सा. का. नि. 2542 तारीख 4-10-1975 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 21st November, 2003

G.S.R. 415.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata (Class I and II posts) Rules, 1975 in so far as they relate to the post of Assistant Research Officer (Biologist), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Assistant Research Officer (Biologist) in All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the All India Institute of Hygiene and Public Health, Assistant Research Officer (Biologist) (Group 'B' Gazetted) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, Classification and scale of pay .—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the Post	:	Assistant Research Officer (Biologist)
2	Number of post	:	01* (2003)* Subject to variation dependent on work load.
3	Classification	:	General Central Services Group 'B' Gazetted Non-Ministerial
4	Scale of pay	:	Rs. 6500-200-10500
5	Whether selection by Merit or Selection cum-Seniority or Non-Selection post	:	Not applicable
6	Age limit for direct recruits	:	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing

date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	:	Not applicable
8. Educational and other qualification required for direct recruits	:	**Essential :** (i) Master's Degree in Biology or Zoology of a Recognised University/ Institute or Equivalent; (ii) Two years Teaching/Research Experience. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
9. Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	:	Not applicable
10. Period of probation	:	2 years for Direct recruits
11. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	:	Deputation (including short term contract) failing which by Direct recruitment.
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grade from which promotion/absorption to be made	:	**Deputation (Including Short Term Contract)** Officers under the Central/State Governments/Union Territories/ Recognised Research Institutions/Public Sector Undertaking/Semi-Government Autonomous or Statutory Organisation :— (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) With three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500—9000 or equivalent in the parent cadre/department; and (iii) With six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs. 5000—8000 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under Col. 8.

		[Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications].
13	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	: **Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation)** 1. Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata. —Chairman 2. Additional Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata —Member 3. Head of the department of concerned subject —Member 4. Director Administration/Deputy Director Administration handling the Administration work of All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata presently being under Public Health (Communicable Diseases) Section, Dte. General of Health Services (HQ) —Member
14	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	: Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[No. A. 12025/5/96-PH.(CDL)/PH]

K. V. S. RAO, Under Secy.

Footnote :—The All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkatta (Class I and Class II) Rules, 1975 were published in the Gazette of India vide G.S.R. 2542 dated 4-10-1975.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 416.—आम की खटाई और अमचूर श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2003 का प्रारूप, कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 22 फरवरी, 2003 के पृष्ठ 435 से 444 पर सा. का. नि. सं. 82 तारीख 10 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था और ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 11 मार्च, 2003 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, केन्द्रीय सरकार ने, उक्त प्रारूप की बाबत, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आम की खटाई और अमचूर श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आम की खटाई और अमचूर श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2003 है;

(2) ये राजपत्र में उनके अन्तिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे;

(3) ये आम की खटाई और अमचूर को लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं :—**

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(i) ''कृषि विपणन सलाहकार'' से भारत सरकार का कृषि विपणन का सलाहकार अभिप्रेत है;

(ii) ''प्राधिकृत पैकर'' से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों में विनिर्दिष्ट श्रेणी मानक और प्रक्रिया के अनुसार आम की खटाई और अमचूर का श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है;

(iii) ''प्राधिकृत प्रमाण-पत्र'' से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन श्रेणी अभिधान चिन्ह से आम की खटाई और अमचूर का श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को प्राधिकृत करते हुए जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(iv) ''साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम'' से कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;

(v) ''अनुमोदित रसायनज्ञ'' से आम की फांकों और अमचूर आदि का एगमार्क श्रेणीकरण, परीक्षण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रसायनज्ञ अभिप्रेत है;

(vi) ''अनुमोदित प्रयोगशाला'' से एगमार्क श्रेणीकरण के लिए कच्चे आम की फांकों और अमचूर के परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला अभिप्रत है;

(vii) ''श्रेणी अभिधान चिन्ह'' से नियम 5 में निर्दिष्ट एगमार्क अधिकार चिन्ह अभिप्रेत है;

(viii) ''अनुसूची'' से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. **श्रेणी अभिधान :—**

आम की खटाई और अमचूर की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के स्तम्भ 1 में यथावर्णित अनुसार होगा।

4. **क्वालिटी की परिभाषा :—**

ऐसे श्रेणी अभिधान और साधारण लक्षणों द्वारा उपदर्शित क्वालिटी अनुसूची 2 के स्तंभ 2 से 8 और अनुसूची 3 के स्तंभ 2 से 7 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने उपवर्णित प्रकार की होगी।

5. **श्रेणी अभिधान चिन्ह :—**

श्रेणी अभिधान चिन्ह में ''एगमार्क अधिकार चिन्ह'' होगा जो अनुसूची 1 में दिए गए डिजाइन के अनुरूप होगा जिसमें प्राधिकारी प्रमाण पत्र संख्यांक, शब्द ''एगमार्क'', वस्तु का नाम और श्रेणी अभिधान समाविष्ट होंगे।

6. **पैकिंग की रीति :—**

(i) श्रेणीकृत वस्तु ठोस, स्वच्छ और सूखे आधानों में पैक की जाएगी जो 200 गेज के उच्च घनत्व अस्त्र वाले कागज, कपड़े, पॉलीपाउचों, जूट के थैलों, टिन प्लेटों के बने हों और जिनमें पालिथिलीन, कांच की बोतल, प्लास्टिक आधान, पॉलीवोवन या किसी अन्य पैकिंग सामग्री के बने हों जो क्रेता द्वारा अपेक्षित हो या कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार अनमोदित की जाएगी, परंतु पैकिंग सामग्री खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन अनुज्ञात खाद्य श्रेणी क्वालिटी की बनाई जाएगी;

(ii) आधान कीटग्रसन, फफूंदी संदूषण और किसी अवांछनीय गंध मे मुक्त होगा;

(iii) एक ही श्रेणी अभिधान और एक ही लाट/बैच की श्रेणीकृत सामग्री वाले उपभोक्ता पैकेटों को उपयुक्त संख्या में एक बड़े आधान में जैसे लकड़ी के मंजूषों, गत्तों के डिब्बों आदि में पैक किया जाएगा;

3465 GI/03—3

(iv) प्रत्येक आधान को, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से सुरक्षित रूप से बंद किया जाएगा और यथोचित रूप से सीलबंद किया जाएगा;

(v) आम की खटाई या अमचूर ऐसे आधानों में पैक किया जाएगा जो उत्पाद की स्वास्थ्यकर, पौष्टिक, प्रौद्योगिकीय और इंद्रिय ग्राह्य क्वालिटी की सुरक्षा करेंगे;

(vi) प्रत्येक पैकेज में केवल एक ही श्रेणी अभिधान की आम की खटाई या अमचूर होगा;

(vii) आम की खटाई या अमचूर समय-समय पर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार पैक आकारों में पैक किए जाएंगे

7. चिन्हांकन की पद्धति :—

(i) श्रेणी अभिधान चिन्ह कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार अनुमोदित रीति में मजबूती से आम की खटाई और अमचूर के प्रत्येक आधान पर चिपकाया जाएगा या स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से मुद्रित किया जाएगा;

(ii) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट और अमिट रूप से चिन्हांकित की जाएंगी :

(क) प्राधिकृत पैकर का नाम और पता;

(ख) पैकिंग का स्थान;

(ग) पैकिंग की तारीख;

(घ) लॉट बैच संख्यांक;

(ङ) शुद्ध वजन;

(च) कीमत (सभी करों सहित);

(छ) ..... मास ..... वर्ष से पूर्व सर्वोत्तम;

(ज) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 या बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तु) नियम, 1977 के अधीन कोई अन्य अपेक्षाए।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दिया जाएगा कि चिन्हांकन के लिए प्रयुक्त स्याही उत्पाद को संदूषित न करे;

(iv) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम, 11 के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिन्ह या व्यापार ब्रांड लेबल चिपकाएगा, परंतु इससे श्रेणीकृत पैकेजों पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह से भिन्न खन्ड की क्वालिटी या श्रेणी उपदर्शित नहीं हो।

8. प्राधिकृत प्रमाण पत्र की मंजूरी के लिए विशेष शर्तें :—

साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त आम की खटाई और अमचूर के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकार प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी :

(i) प्राधिकृत पैकर, आम की खटाई और अमचूर की क्वालिटी के परीक्षण के लिए कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अर्हित रसायनज्ञ द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार चलाई जाने वाली अपनी प्रयोगशाला स्थापित करेगा या राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला में या इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा;

(ii) प्रसंस्करण, प्रेषण और पैकिंग के लिए परिसर को पूर्णतया स्वास्थ्यप्रद, स्वच्छ दशाओं में उचित हवादार और सही प्रकाशमय व्यवस्था के साथ रखेगा;

(iii) इन संक्रियाओं में लगे कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संक्रामक, संचारी और सांसर्गिक रोगों से मुक्त होंगे;

(iv) नमूने लेने, अन्वेषण करने, सीलबंद करने, पैकजों पर चिन्हांकन करने, अभिलेख का रख-रखाव और विवरणी आदि को प्रस्तुत करने की पद्धति से संबंधित ऐसे सभी अनुदेशों का जो सभी कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ द्वारा कठोरता से अनुपालन किया जाएगा;

(v) परिसर में पक्के फर्श के साथ पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वे कृन्तक और कीटग्रसन से मुक्त होंगे।

अनुसूची 1

(नियम 5 देखिए)

(एगमार्क अधिकार चिन्ह का डिजाइन)

वस्तु का नाम .....

श्रेणी .....

अनुसूची 2

(नियम 3 और 4 देखिए)

कच्चे आम की सुखाई गई फांकों का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा						
	विशेष विशिष्टताएं						
	सह्यता की अधिकतम सीमा (द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत)						
	रंग	बाह्य पदार्थ	15 मि.मी. से कम लंबाई की खटाई	बीज आवरण	क्षतिग्रस्त और रंगहीन खटाई	नमी	
		कार्बनिक	अकार्बनिक				
1	2	3	4	5	6	7	8
विशेष	सफेद	कुछ नहीं	0.5	2.0	1.0	1.0	10.0
मानक	सफद से भूरा	0.5	1.0	4.0	3.0	3.0	10.0
साधारण	भूरे से काला	2.0	2.0	6.0	6.0	5.0	12.0

स्पष्टीकरण :

(1) बाह्य पदार्थ :—

(i) अकार्बनिक बाह्य पदार्थ में धात्विक टुकड़े, मिट्टी कण, धूल, पत्थर, मिट्टी के कण, चिकनी मिट्टी और कीचड़ समाविष्ट होगा।

(ii) कार्बनिक बाह्य पदार्थ जैसे भूसी, डंठल और घास फूस ।

(2) 15 मि.मी. से कम लंबी फांक—15 मि.मी. से कम लंबी फांकों को फांक के एक कोने से दूसरे कोने तक मापा जाएगा।

(3) बीज आवरण—बीज आवरण बीज का बाहरी आवरण होगा।

(4) क्षतिग्रस्त और रंगहीन फांकों—से ऐसी फांकें अभिग्रस्त हैं जो घुनों या अन्य कीटों द्वारा खाई गई हैं और इसके अंतर्गत फफूंदी, नमी या तापन द्वारा भीतर से क्षतिग्रस्त फांकें भी हैं।

साधारण विशिष्टताएं
9

आम की खटाई :—

(1) बाहरी छिलके के साथ या उसके बिना कच्चे आम के फल का पूर्ण रूप से या उसके खाद्य भाग को सुखाया जाएगा।

(2) उचित रूप से सुखाया जाएगा, फफूंदी, कीट संक्रमण, कृन्तक संदूषण, जीवित या मृत कृन्तकों, मिलाए गए रंजक पदार्थों, क्षयकारी पदार्थ और ऐसे अन्य नुकसानदायक पदार्थ से मुक्त होगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।

(3) इसकें खाद्य सामान्य नमक जिसे शुष्क रूप में भार के अनुसार 5 प्रतिशत की सीमा तक मिलाया जा सकेगा, के सिवाय कोई परिरक्षी नहीं होगा।

(4) स्वाद तथा सुगंधित लक्षणों से युक्त होगा।

(5) यह विषैली धातु (नियम 57), प्राकृतिक रूप से होने वाले विषैले पदार्थों (नियम 57 ख), कीटनाशी/नाशक जीव मार अवशिष्ट (नियम—65) और कोई अन्य अपेक्षाएं जो समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के आदेशात्मक उपबंधों के अधीन अधिकथित की जाएं, की सीमा के अनुरूप होगा।

(6) 30 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम से अधिक अफलाटॉक्सिन नहीं होगा।

(7) निम्नलिखित सूक्ष्म जैविक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :—

(i)	कुल वायबल काउंट	10^6/ग्राम (अधिकतम)
(ii)	ई-कोली	10^3/ग्राम (अधिकतम)
(iii)	मोल्डस	10^4/ग्राम (अधिकतम)
(iv)	सालमोनेला	नकारात्मक

अनुसूची 3

(नियम 3 और 4 देखिए)

सुखाए गए कच्चे आम का चूर्ण जिसका वाणिज्यिक नाम अमचूर है, श्रेणी अभिधान और असकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा				
	विशेष विशिष्टताएं				
	सह्यता की अधिकतम सीमा (द्रव्यमान के आधार पर प्रतिशत)				
	अपरिष्कृत (रेशे शुष्क आधार पर	कुल भस्म (नमक मुक्त तथा शुष्क आधार पर)	अम्ल अघुलनशील भस्म (शुष्क आधार पर)	अम्लता (टार्टरिक (एनहाइड्रस के रूप में)	नमी
1	2	3	4	5	6
विशेष	3.0	3.0	0.5	20.1 से 26.0	10.0
मानक	6.0	6.0	1.5	12.0 से 20.0	12.0

साधारण विशिष्टताएं	
7	

धूप में सुखाए गए कच्चे आम का अमचूर :—

(1) स्वच्छ और शुष्क सुखाए गए कच्चे आम की फांकों के पेषण द्वारा अभिप्राप्त चूर्ण होगा जो स्वाद और सुगंध के लक्षणों से युक्त होगा।

(2) बासी गंध, अप्रीतिकर गंध, कृन्तक संदूषण, फफूंद और कीट संक्रमण, बाह्य पदार्थ और मिलाए गए रंजक और वासक पदार्थ से मुक्त होगा।

(3) मिलाए गए स्टार्च, क्षयकारी पदार्थों तथा ऐसे किसी अन्य नुकसानदायक पदार्थ से मुक्त होगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं ।

(4) स्थूल कणों से मुक्त होगा और समाग्री का 97 प्रतिशत 700 आई.एस. माइक्रोन छलनी से निकाला जाएगा।

(5) इसमें खाद्य सामान्य नमक जिसे शुष्क रूप में भार के अनुसार 5 प्रतिशत की सीमा तक मिलाया जा सकेगा, के सिवाय कोई परिरक्षी नहीं होगा।

(6) 30 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम से अधिक अफ्लाटॉक्सिन नहीं होगा।

(7) उत्पाद विषैली धातु (नियम 57), नाशक जीवमार और कीटनाशी अवशिष्ट (नियम 65), प्राकृतिक रूप से होने वाले विषैले पदार्थ (नियम 57-ख) और समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के आदेशात्मक उपबंधों के अधीन अधिकथित किन्हीं अन्य अपेक्षाओं की सीमा के अनुरूप होगा।

(8) निम्न प्रकार अधिकथित माइक्रोबायोलोजिकल अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :—

(i)	कुल वायबल काउंट	10^6/ग्राम (अधिकतम)
(ii)	ई-कोली	10^3/ग्राम (अधिकतम)
(iii)	मोल्डस	10^6/ग्राम (अधिकतम)
(iv)	सालमोनेला	नकारात्मक

[फा.सं. 18011/1/2002-एम-2]

पी.के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव (कृषि विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 19th November, 2003

G.S.R. 416.—Whereas the draft of Sundried Raw Mango Slices and Powder Grading and Marking Rules, 2003 were published as required by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), at pages 435 to 444 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 22nd February, 2003 vide G.S.R. 82, dated 10th February, 2003 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 11th March, 2003;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produced (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and in supersession of Sundried Raw Mango Slices and Powder Grading and Marking Rules, 1981, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. Short title and application :—

(i) These rules may be called Sundried Raw Mango Slices and Powder Grading and Marking Rules, 2003;

(ii) They shall apply to Sundried Raw Mango Slices and Powder;

(iii) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—

In these rules, unless the context otherwise requires :—

(i) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(ii) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark the Sundried Raw Mango Slices and Powder in accordance with the grade standards and procedure specified in these rules;

(iii) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Sundried Raw Mango Slices and Powder with the grade designations mark;

(iv) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 (as amended from time to time) made under Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(v) "Approved Chemist" means chemist approved by the competent authority to undertake Agmark Grading, testing of the Mango Slices and Powder etc.;

(vi) "Approved Laboratory" means laboratory approved by the competent authority for testing of Raw Mango Slices and Powder for Agmark Grading;

(vii) "Grade designation mark" means the agmark insignia referred to in Rule-5;

(viii) "Schedule" means schedules appended to these rules.

3 Grade designation :—

The grade designation to indicate the quality of Sundried Raw Mango Slices and Powder shall be as set out in Column 1 of Schedule II and III.

4 Definition of Quality :—

The quality indicated by such grade designations and general characteristics shall be as set out against each grade designation in columns 2 to 9 of Schedule II and 2 to 7 of the schedule III.

5 Grade designation mark :—

The grade designation marks shall consist of "AGMARK INSIGNIA" consisting of the design incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", name of the commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule I.

6. Method of packing :—

(i) The graded article shall be packed in sound, clean and dry containers made of paper, cloth, poly pouches, Jute bags, tin plates with inner lining of 200 guage high density polyethylene, glass bottle, plastic container, polywoven or any other packing material as may be required by the buyer and approved by the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him in this behalf as per rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988 provided that the packing material is made of food grade quality as permitted under prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

(ii) The container shall be free from any insect infestation, fungus contamination and free from any undesirable smell;

(iii) Suitable number of consumer packets containing graded material of the same grade designation and from the same lot/batch may be packed in a master container such as wooden cases, card board cartons etc.;

(iv) Each container shall be securely closed and suitably sealed in the manner approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(v) Sundried Raw Mango Slices or Powder shall be packed in containers which will safeguard the hygienic, nutritional, technological and organoleptic qualities of the product;

(vi) Each package shall contain Raw Mango Slices or Powder of one grade designation only;

(vii) The Sundried Raw mango slices or powder shall be packed in the pack sizes as per instructions of Agricultural Marketing Adviser issued from time to time.

7. Method of Marking :—

(i) A grade designation mark shall be securely affixed to or clearly and indelibly printed on each container, Sundried Raw mango slices and powder, in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading & Marking Rules, 1988;

(ii) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall also be clearly and indelibly marked on each container :

(a) Name and address of the authorised packer;

(b) Place of packing,

(c) Date of packing,

(d) Lot/batch number,

(e) Net weight,

(f) Price (inclusive of all taxes),

(g) Best before within ..... month and year,

(h) Any other requirements given under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 or the Standards of Weight and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977.

(iii) Proper care shall be taken to ensure that the ink used for marking does not contaminate the product;

(iv) The authorised packer may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or any other officer duly authorised by him in this behalf, in accordance with the rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988, affix his private trade mark or trade brand label on the graded packages, provided that the same does not indicate quality or grade of the commodity different from the grade designation mark affixed to the graded packages.

8. Special conditions for grant of Certificate of Authorisation :—

In addition to the General conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the following shall be additional conditions for grant of certificate of authorisation for Grading and Marking of Sundried Raw Mango Slices and Powder :—

(i) The authorised packer shall either set up their own laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing the quality of Sundried Raw Mango Slices and Powder or have access to the State Grading Laboratory or private commercial laboratory approved for the purpose;

(ii) The premises for processing, grinding and packing shall be maintained in perfect hygienic, sanitary conditions with proper ventilation and well lighted arrangement.

(iii) The personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, communicable and contagious diseases.

(iv) All instructions regarding the method of sampling, analysis, sealing, marking of packages, maintenance of records and submission of returns etc. which may be issued from time to time by the Agricultural Marketing advise or any other officer duly authorised by him, shall be strictly observed by the authorised packer and the approved chemist.

(v) The premises shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from rodent and insect infestation.

SCHEDULE—I

(See rule 5)

(Design of Agmark insignia)

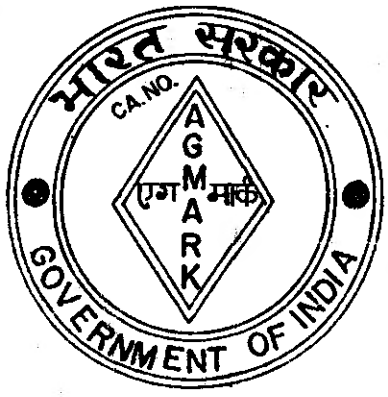

NAME OF COMMODITY.....

GRADE.....

SCHEDULE-II

(See rules 3 & 4)

Grade designation and definition of quality of Sundried Raw Mango Slices

Grade designation	Definition of quality						
	Special characteristics						
	Maximum limit of tolerance (per cent by mass)						
	Colour	Extraneous matter		Slices below 15mm in length	Seed coating	Damaged and discoloured slices	Moisture content
		Inorganic	Organic				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	White	Nil	0.5	2.0	1.0	1.0	10.0
Standard	White to brown	0.5	1.0	4.0	3.0	3.0	10.0
General	Brown to black	2.0	2.0	6.0	6.0	5.0	12.0

Explanations :—

(1) Extraneous matter :—

(i) Inorganic extraneous matter consisting of metallic pieces, sand, gravel, dirt, stone, lumps of earth, clay and mud.

(ii) Organic extraneous matter such as chaff, stem and straw.

(2) Slices bellow 15mm—Slices below 15mm in length shall be measured from one end to the other and of the slice.

(3) Seed coating—Seed coating shall be exterior covering of the seed.

(4) Damaged and discoloured slice—means the slices that are eaten by weevils or other insects and including slices internally damaged by fungus, moisture or heating.

General Characteristics
(9)

Sundried Raw Mango Slices (Khatai) shall—

(1) be dried wholesome, edible part of raw mango fruit with or without the outer skin,

(2) be reasonably dried, free from fungus, insect infestation, rodent contamination, living and dead insects, added colouring matter, flavouring matter deleterious substance and any other harmful substance which are injurious to health,

(3) not contain any preservative except edible common salt which may be added to the extent of 5% by weight on dry basis,

(4) have characteristic taste and flavour,

(5) conform to the limit for poisonous metals (rule-57), naturally occurring toxic substances (rule 57-B), insecticides/ pesticides residue (rule-65), and any other requirements as laid down under the mandatory provisions of the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 as amended from time to time,

(6) not have aflatoxin more than 30 microgram/kg,

(7) conform to the microbilogical requirements as laid down below :—

(i)	Total viable count	10^6/gm (Max.)
(ii)	E-coli	10^3/gm (max.)
(iii)	Moulds	10^4/gm. (Max.)
(iv)	Salmonellla	Nagative

SCHEDULE III

(See Rules 3 and 4)

Grade designation and difinition of quality of Sundried Raw Mango Powder commercially known as Amchur

Grade designation	Definition of quality				
	Special characteristics				
	Maximum limit of tolerance (per cent by mass)				
	Crude fibre on dry basis	Total Ash (salt free basis) (on dry basis)	Acid insoluble ash (on dry basis)	Acidity (as anhydrous tartaric acid)	Moisture
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special	3.0	3.0	0.5	20.1 to 26.0	10.0
Standard	6.0	6.0	1.5	12.0 to 20.0	12.0

General Characteristics
(7)

Sundried raw mango powder (Amchur) shall—

(1) be the powder obtained by grinding clean and dried raw mango slices having characteristics taste & flavour,

(2) be free from musty odour, objectionable flavour, rodent contamination, fungus & insect infestation, extraneous matter, added colouring and flavouring matter,

(3) be free from added starch, deleterious substance and any other harmful substance which are injurious to health.

(4) be free from coarse particles and 97 per cent of the material shall pass through 700 IS Micron sieve,

(5) not contain any preservation except edible common salt which may be added to the extent of 5% by weight on dry basis,

(6) not have aflatoxin more than 30 microgram/kg,

(7) conform to the limit for poisonous metals (rule-57), Pesticides and Insectisides residue (rule-65), naturally occurring toxic substances (rule-57 B), and any other requirements as laid down under the mandatory provisions of the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 as amended from time to time,

(8) conform to the microbilogical requirements as laid down below :—

(i)	Total viable count	10^6/gm (Max.)
(ii)	E-coli	10^3/gm (Max.)
(iii)	Moulds	10^4/gm. (Max.)
(iv)	Salmonellla	Negative

[File No. 18011/1/2002-M-II]

R. K. AGARWAL, Jt. Secy. (Agricultural Marketing)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 2003